झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 576 राँची, बुधवार, 25 श्रावण, 1938 (श०)

16 अगस्त, 2017 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

8 अगस्त, 2017

विषयः- **भारत सरकार की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अंतर्गत Regional Connectivity Scheme (UDAN) योजना को राज्य में लागू करने हेतु प्रस्तावित RCS हवाई अड्डो के विकास एवं विस्तार हेतु परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड सरकार को सरकारी भूमि (GM Land) का निःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने एवं आवश्यकतानुसार ऐसी भूमि को Token Amount 1/- (एक रूपये) पर Long Term Lease पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

संख्याः-5/ स०भू० RCS-66/17-4125/रा०-- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **30 अगस्त, 2016** में मद संख्या-**9** के रूप में भारत सरकार की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति**, 2016** के अन्तर्गत निर्दिष्ट **Guidelines** के तहत् झारखण्ड राज्य द्वारा किये जाने वाले अनुपालन कार्य एवं राज्य सरकार का

Commitments & Implementation को सुनिश्चित करने के प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित **MoU** पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

(2) दिनांक **31 अगस्त, 2016** को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के मध्य एक **MoU** पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें उक्त योजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की प्रतिबद्धता है कि प्रस्तावित **RCS** हवाई अड्डों के विकास एवं विस्तार हेतु सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय ।

(3) परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड द्वारा सहमति दी गयी है कि-"**RCS** के तहत् राज्य के विभिन्न **Airport** की भूमि के संबंध में यह उचित प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमि का हस्तांतरण परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड को किया जाय जो आवश्यकतानुसार ऐसी भूमि को **Token Amount 1/-** (एक रूपये) पर **Long Term Lease** पर **AAI** को उपलब्ध कराये"।

इस संदर्भ में राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** की कंडिका-4 (b) के तहत् "भारत सरकार एवं उनके उपक्रम तथा निजी व्यक्ति/कम्पनी जिन्हें सशुल्क गैरमजरूआ भूमि की लीज बंदोबस्ती/स्थायी बंदोबस्ती की जानी है वे लीज स्वीकृति के **60** दिनों के अन्दर लीज का इकरारनामा कर पूर्ण राशि सरकारी कोष में जमा करेंगे । राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकार जिन्हें सशुल्क भूमि की लीज बंदोबस्ती/स्थायी बंदोबस्ती की जानी है, वे छः माह में पूर्ण राशि सरकारी कोष में जमा करेंगे। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किये जाने एवं इकरारनामा नहीं किये जाने पर लीज रद्द कर दी जाएगी" एवं 4 (f) के तहत् "भारत सरकार एवं उसके विभिन्न उपक्रमों को (सड़क, रेलवे, आवासीय प्रयोजन तथा कार्यालय निर्माण को छोड़कर) गैरमजरूआ भूमि की स्थायी बंदोबस्ती नहीं की जाएगी तथा उन्हें गैरमजरूआ भूमि तीस वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती पर दी जाएगी जिसमें उन्हें एक नवीकरण का विकल्प अनुमान्य होगा"। उक्त दोनों कंडिकाओं से स्पष्ट है कि भारत सरकार एवं उनके उपक्रम को सशुल्क भूमि की बंदोबस्ती की जाती है तथा स्थायी बंदोबस्ती नहीं की जाती है ।

(4) अतः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **1 अगस्त, 2017** में मद संख्या-**13** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त दोनों कंडिकाओं को शिथिल करते हुए भारत सरकार की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, **2016** के अंतर्गत **Regional Connectivity Scheme (UDAN)** योजना को राज्य में लागू करने हेतु प्रस्तावित **RCS** हवाई अड्डो के विकास एवं विस्तार हेतु परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड सरकार को सरकारी भूमि (**GM Land**) का निःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण किया जाय एवं राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा०**, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** की कंडिका-4 (b) एवं 4 (f) को

शिथिल करते हुए आवश्यकतानुसार ऐसी भूमि को **Token Amount 1/- (**एक रूपये) पर **Long Term Lease** पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निम्नांकित शर्तों के अधीन उपलब्ध कराया जाता है :-

(i) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जायेगा, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।

(ii) अन्य सभी शर्ते एवं इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

(iii) यदि प्रस्ताव में जंगल-झाड़ी भूमि सन्निहित हो तो उसका गैर वानिकी उपयोग कार्य करने के पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम **1980** के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 576--50